



KRISHI VIGYAN KENDRA-KOTPUTLI, JAIPUR  
 DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION  
 SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY  
 Phone: 01421-269641

Smt. Shashi Verma  
 Programme Coordinator

Email- pc.kvk.gonera@sknau.ac.in  
 Mobile No. 9413906987

KVK/KTP/मजदूर/2017-18/110-116

दिनांक 19.8.2017

सीमित निविदा सूचना

साब साधारण का सूचित किया जाता है कि केन्द्र के कार्यालय की सफाई, ग्राहकों के दौरान सफाई एवं प्रदर्शन इलाकों पर कार्य करने के लिए मजदूर आपूर्ति के लिए सीमित निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। निम्न सूची के अनुसार। निविदा प्रपत्र कार्यालय सफाई के दिनांक 26.8.2017 प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र मसूदा कार्यालय में दिनांक 26.8.2017 का दोपहर 1.0 बजे तक प्राप्त करना। निविदा इसी दिन 26.8.17 को 2.30 बजे निविदा कार्यालय के सामने खोली जाएगी। निविदा स्वीकृत/दोषपूर्ण करने का पूर्ण दायित्वार अधोदस्ता संरक्षित रहेगा।

प्रति श्रेणी

1. निदेशालय अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय, जोबनेर
2. इनचार्ज शिक्षण, श्रीमती नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. सूचना पट्ट के-बी-के - जोबनेर
4. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत जोबनेर। पत्तियां
5. सूचना पट्ट नगर पालिका कोटपुतली
6. सूचना पट्ट पंचायत शक्ति, कोटपुतली
7. शक्ति पट्टावली

*Shashi*  
 Programme Coordinator  
 Krishi Vigyan Kendra  
 KOTPUTLI - Jaipur

*Shashi*  
 Programme Coordinator  
 Krishi Vigyan Kendra  
 KOTPUTLI - Jaipur

# कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

## श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक - KVK/KTP/वि./जयपुर /2017-18/40-116 दिनांक: 19-08-2017

योजना का नाम -

मजदूर आपूर्ति के लिए

कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा, कोटपूतली, जिला- जयपुर

कार्य की अनुमानित अवधि -

अक्टूबर 2017 से मार्च 2018

मरहमूर रकम -

रुपये 000/- एक हजार रुपये

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित दर	निविदादाता द्वारा मांगी गई दर	हस्ताक्षर
1	केन्द्र कार्यालय एवं आस पास सफाई व्यवस्था, प्रशिक्षण के दौरान मानी, एवं सफाई व्यवस्था केन्द्र फार्म सुधार एवं प्रबंधन इकाईको का कार्य आदि।	न्यूनतम दर रु. 207/- मजदूरी (8 घण्टे)		

### नियम व शर्त :- निविदादाता

1. मजदूर भाग के अनुसार निविदादाता को तुरन्त उपलब्ध करवाने होंगे।
2. मजदूर आपूर्ति समय पर नहीं होने पर पिछला जुगतान देय नहीं होगा व शरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा फार्म की अन्य अवांछनीय अथवा अशुभ गतिविधियों में संलग्न होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रमानी अधिकारी को होगा।
4. जहाँ पर कृषि कार्य के दौरान किसी प्रकार को दुर्घटना होने,साँघ काटना, बिजली से या अन्य किसी अमकरणों से या जापरवाही से दुर्घटना होने पर अशोहरतापरकता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
5. प्रथम शीयता पार्टी द्वारा कार्य नहीं समाप्त होने पर ठेक निरस्त करके अगली शीयता प्राप्त पार्टी को कार्य का आदेश अशोहरतापरकता दे सकते हैं।
6. निविदादाता को प्रत्येक वेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
7. सफल निविदाता को 5000 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर अनुबन्ध देना होगा।
8. जमा रकम पर ब्याज देय नहीं होगा।
9. सभी कार्य प्रमानी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
10. आवाता की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी कार्यालय द्वारा कोई सुविधा दे नहीं होगी।
11. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
12. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश निविदादाता को बाध्य होंगे।
13. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबन्ध की अवधि कार्य सम्पन्न होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

हस्ताक्षर निविदादाता

*Shri*  
कार्यक्रम समन्वयक  
कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा  
कोटपूतली, जिला- जयपुर